न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 31 सन 2020
अनवान :--

1. भजन गौदारा पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकला पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 23/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107/116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911/21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59/3643हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मदनलाल एवं ओमकला दर्ज हो गया जबकि सायलान का सही नाम भजन गौदारा एवं रामकला है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में सायालान का नाम भजन गौदारा एवं रामकला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107/116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911/21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59/3643हिस्सा भूमि में सायलान का नाम मदनलला एवं ओमकला के स्थान पर भजन गौदारा एवं रामकला संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाव पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107/116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911/21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59/3643हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मदनलाल एवं ओमकला दर्ज हो गया जबकि सायलान का सही नाम भजन गौदारा एवं रामकला है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में सायालान का नाम भजन गौदारा एवं रामकला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायल का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायल अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107/116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911/21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59/3643हिस्सा भूमि सायलान का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम मदनलाल एवं ओमकला दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम भजन गौदारा एवं रामकला है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , सभी में सायलान का नाम भजन गौदारा एवं रामकला दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में सायलान का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये सायलान अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार परं स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107/116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911/21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59/3643हिस्सा में सायल न0 1 का नाम मदनलाल एवं सायल न0 2 का नाम ओमकला अंकित है के स्थान पर भजन गोदारा उर्फ मदनलाल एवं रामकला उर्फ ओमकला संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 31 / 2020 अनवानी सरीफ बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. भजन गौदारा पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामकला पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी श्योरानी तहसील नोहर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 31 / 2020 अनवानी भजन गोदारा बनाम सरकार में दिनांक 23/2/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा श्योरानी के खाता संख्या 107 / 116 की कुल 10.9290हैक भूमि में सायल न0 1 का 911 / 21858 हिस्सा व सायल न0 2 का 59 / 3643हिस्सा में सायल न0 1 का नाम मदनलाल एवं सायल न0 2 का नाम ओमकला अंकित है के स्थान पर भजन गोदारा उर्फ मदनलाल एवं रामकला उर्फ ओमकला संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)